

State Institute of Health & Family Welfare

Jhalana Institutional Area, Near Doordarshan Kendra, Jaipur-302004

क्रमांक:—F-109(7)/SIHFW/MH-Recruit/Nur.off/2023/ 6777-82

दिनांक:—24/7/25

आदेश

नर्सिंग एवं पैरामेडिकल भर्ती 2023 के अन्तर्गत नर्सिंग आफिसर भर्ती के अनुसूचित एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र के आवेदक जिनका भर्ती परिणाम रोक रखा हुआ था, का नीचे दी गई सारणी में दिये गये कारणों के अनुसार अंतिम चयन नहीं किया जा सकता है। निम्नांकित सारणी में सम्मिलित समस्त आवेदकों को निर्देशित किया जाता है कि इस सूची के जारी होने की तिथि से 07 दिवस में चयन नहीं किये जाने के संबंध में यदि उनकी कोई परिवेदना है तो निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर को व्यक्तिगत अथवा रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। 7 दिवस में प्राप्त परिवेदनाओं पर विचार किया जाकर अन्तिम निर्णय लिया जायेगा।

S.NO.	Applicant Name	Application ID	Date of Birth	Category	Father's Name	चयन नहीं किये जाने का कारण
1	AMIT SHARMA	NO158578	6/29/1992	EWS/	MAHESH KUMAR SHARMA	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्रों एवं अनुभव पुनर्सत्यापन के आधार पर प्रमाणित आशा सुपरवाईजर का कार्यानुभव नर्सिंग ऑफिसर के कार्य के समान नहीं होने के कारण नियमानुसार बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनीवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश किया है जिसका संबंध समान कार्य से है। डी.बी. याचिका संख्या 26/2023 सुखाराम बनाम सरकार व अन्य को समान कार्य का अनुभव नहीं होने के कारण खारिज कर दिया है। इस प्रकार बोनस अंकों के अभाव में कट ऑफ से कम अंक रहने के कारण चयन से वंचित रहे हैं।
2	ANJANA	NO156631	7/3/1993	OBC-NCL/ --	RAM SINGH	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर-द्वितीय के पत्रांक 229, 236 दिनांक 7.2.2025 द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र क्रमांक 737 दिनांक 30.5.2023 एवं क्रमांक 824 दिनांक 30.5.2023 को सत्यापन नहीं किया गया है। अतः अनुभव आधारित बोनस अंकों के अभाव में कुल प्राप्तांक 51.549 प्रतिशत बनते हैं जो उनके जातिवर्ग के कट ऑफ से कम होने के कारण चयन से वंचित रही हैं।
3	MANOJ KUMAR TAILOR	NO165092	8/10/1988	OBC-NCL/ --	BODU RAM TAILOR	आर.एन.सी. से प्राप्त सूचना अनुसार अभ्यर्थी को अन्य राज्य में रजिस्ट्रेशन के लिये एनओसी दिनांक 28.1.2013 को जारी हुई है। तत्पश्चात नवीन रजिस्ट्रेशन दिनांक 2.12.2022 को हुआ है। नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन से पूर्व अर्जित अनुभव का बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। इस

State Institute of Health & Family Welfare

Jhalana Institutional Area, Near Doordarshan Kendra, Jaipur-302004

						प्रकार सम्पूर्ण अनुभव अवधि के दौरान अभ्यर्थी का पंजीयन नहीं होने के कारण बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। अतः अनुभव आधारित बोनस अंकों के अभाव में कट ऑफ से कम अंक रहने के कारण चयन से वंचित रहे हैं।
4	BABU LAL SAINI	NO119445	5/16/1986	OBC-NCL/ --	LAL CHAND SAINI	बीडीएम चिकित्सालय कोटपूतली से प्राप्त पत्र दिनांक 15.7.2024 के अनुसार ट्रोमा सेन्टर के संचालन हेतु राज्य सरकार एवं निम्स यूनिवर्सिटी के मध्य एमओयू हुआ था। निम्स यूनिवर्सिटी द्वारा ट्रोमा सेन्टर पर अपने स्तर से चयन कर नर्सिंग स्टाफ लगाया गया था एवं कार्मिक को पारिश्रमिक भुगतान भी निम्स द्वारा किया गया है। राज्य सरकार से किसी प्रकार का भुगतान नहीं होने के कारण अभ्यर्थी को राज्य सरकार के अधीन कार्यरत संविदा कार्मिक नहीं माना जा सकता है। राज्य सरकार केवल स्वयं के अधीन निर्धारित कार्यक्रमों में कार्यरत संविदा कार्मिकों को ही बोनस अंकों का लाभ देने का विचार रखती है। वस्तुतः बोनस एक लाभ है अधिकार नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात को स्वीकार किया है कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नीति को उसके अनुसार ही चलना चाहिये। निजी संस्थान के अधीन कार्यरत कार्मिकों को नियमानुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। वस्तुतः निम्स यूनिवर्सिटी द्वारा स्वयं के चेरिटेबल कार्य हेतु अभ्यर्थी को नियुक्त किया है जिसमें अभ्यर्थी द्वारा यूनिवर्सिटी के अधीन कार्य सम्पादन किया है। फलस्वरूप निजी संस्थान के अधीन कार्यरत होने के कारण अनुभव आधारित बोनस अंकों के अभाव में कट ऑफ से कम अंक रहने के कारण चयन से वंचित रहे हैं।
5	GOVIND SHARMA	NO186999	1/5/1990	EWS/	OMPRAKAS H	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्रों एवं अनुभव पुनः सत्यापन के आधार पर प्रमाणित अभ्यर्थी को दिनांक 19.5.2022 से 30.4.2023 तक 346 दिवस अवधि का अनुभव थर्मल पावर प्रोजेक्ट छबड़ा का है जिसका एमओयू राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा किया गया है जिसका भुगतान भी अन्य संस्थान द्वारा ही किया गया है। राज्य सरकार केवल स्वयं के अधीन निर्धारित कार्यक्रमों एवं चिकित्सा विभाग के चिकित्सा संस्थानों में कार्यरत संविदा कार्मिकों को ही बोनस अंकों का लाभ देने का विचार रखती है।

State Institute of Health & Family Welfare

Jhalana Institutional Area, Near Doordarshan Kendra, Jaipur-302004

						थर्मल पावर प्रोजेक्ट छबड़ा नियम 19 में विनिर्दिष्ट कार्यक्रमों में नहीं है न ही यह विज्ञप्ति की शर्तानुसार चिकित्सा विभाग के अधीन चिकित्सा संस्थान है। अतः भुगतान का प्रमाणिकरण अनुभव जारीकर्ता अधिकृत अधिकारी के माध्यम से कराया जाना संभव नहीं है। प्रमाणिकरण के अभाव में उक्त अनुभव अवधि का बोनस का लाभ देय नहीं होने से केवल 20 प्रतिशत बोनस अंक ही देय है। फलस्वरूप अनुभव आधारित 20 प्रतिशत बोनस अंकों के आधार पर कट ऑफ से कम अंक रहने के कारण चयन से वंचित रहे हैं।
6	ANAND KUMAR SHARMA	NO128444	12/14/1990	EWS/	DEVENDRA KUMAR SHARMA	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्रों एवं अनुभव पुर्नसत्यापन के आधार पर प्रमाणित अनुभव अनुसार अभ्यर्थी ने उपकेन्द्र बिंदरखा पर एएनएम के पद पर कार्य किया है जिसका अनुभव विज्ञापित पद (नर्सिंग ऑफिसर) के समान नहीं होने के कारण बोनस अंक देय नहीं है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनीवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश किया है जिसका संबंध समान कार्य से है। डी.बी. याचिका संख्या 26/2023 सुखाराम बनाम सरकार व अन्य को समान कार्य का अनुभव नहीं होने के कारण खारिज कर दिया है। फलस्वरूप अनुभव आधारित बोनस अंकों के अभाव में कट ऑफ से कम अंक रहने के कारण चयन से वंचित रहे हैं।
7	DURGA LAL DANGI	NO146819	1/2/1995	OBC- NCL/ --	MANOHAR LAL DANGI	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्रों एवं अनुभव पुर्नसत्यापन के आधार पर प्रमाणित अनुभव अनुसार कार्मिक द्वारा निजी जनसहभागिता से संचालित डायलिसिस यूनिट में कार्य किया है। डायलिसिस यूनिट में मरीज केवल एक विशिष्ट तकनीकी कार्य के संपादन हेतु भर्ती होता है। अतः डायलिसिस यूनिट में डायलिसिस संबंधी कार्य का संपादन विज्ञापित पद (नर्सिंग ऑफिसर) के समरूप कार्य का नहीं होने के कारण बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। नीति निर्धारण समिति द्वारा लिये गये निर्णयानुसार विशिष्ट कार्य संपादन को नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य नहीं माना जा सकता। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनीवाल बनाम सरकार में माननीय

State Institute of Health & Family Welfare

Jhalana Institutional Area, Near Doordarshan Kendra, Jaipur-302004

						न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश किया है जिसका संबंध समान कार्य से है। डी.बी. याचिका संख्या 26/2023 सुखाराम बनाम सरकार व अन्य को समान कार्य का अनुभव नहीं होने के कारण खारिज कर दिया है। फलस्वरूप अनुभव आधारित बोनस अंकों के अभाव में कट ऑफ से कम अंक रहने के कारण चयन से वंचित रहे हैं।
8	KAMLESH YADAV	NO119373	5/28/1992	OBC-NCL/ --	RAMSHARAN YADAV	बीडीएम चिकित्सालय कोटपूतली से प्राप्त पत्र दिनांक 15.7.2024 के अनुसार ट्रोमा सेन्टर के संचालन हेतु राज्य सरकार एवं निम्स यूनिवर्सिटी के मध्य एमओयू हुआ था। निम्स यूनिवर्सिटी द्वारा ट्रोमा सेन्टर पर अपने स्तर से चयन कर नर्सिंग स्टाफ लगाया गया था एवं कार्मिक को पारिश्रमिक भुगतान भी निम्स द्वारा किया गया है। राज्य सरकार से किसी प्रकार का भुगतान नहीं होने के कारण अभ्यर्थी को राज्य सरकार के अधीन कार्यरत संविदा कार्मिक नहीं माना जा सकता है। राज्य सरकार केवल स्वयं के अधीन निर्धारित कार्यक्रमों में कार्यरत संविदा कार्मिकों को ही बोनस अंकों का लाभ देने का विचार रखती है। वस्तुतः बोनस एक लाभ है अधिकार नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात को स्वीकार किया है कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नीति को उसके अनुसार ही चलना चाहिये। निजी संस्थान के अधीन कार्यरत कार्मिकों को नियमानुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। फलस्वरूप निजी संस्थान के अधीन कार्यरत होने के कारण अनुभव आधारित बोनस अंकों के अभाव में कट ऑफ से कम अंक रहने के कारण चयन से वंचित रहे हैं।
9	PUSHPA KUMARI RAWAT	NO200453	5/24/1989	OBC-NCL/ --	CHANDRA SINGH	एसएमएस चिकित्सालय जयपुर द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट दिनांक 30.12.2024 के अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 7.1.2021 अनुसार नर्सिंग ऑफिसर पद उपयुक्त नहीं होने के कारण पात्रता निरस्त की गई है।
10	BAVEETA KUMARI	NO158641	3/4/1985	SC/	DEEP CHAND	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्रों एवं अनुभव पुनर्सत्यापन के आधार पर प्रमाणित अनुभव अनुसार कार्मिक द्वारा निजी जनसहभागिता से संचालित डायलिसिस यूनिट में कार्य किया है। डायलिसिस यूनिट में मरीज

State Institute of Health & Family Welfare

Jhalana Institutional Area, Near Doordarshan Kendra, Jaipur-302004

						केवल एक विशिष्ट तकनीकी कार्य के संपादन हेतु भर्ती होता है। अतः डायलिसिस यूनिट में डायलिसिस संबंधी कार्य का संपादन विज्ञापित पद (नर्सिंग ऑफिसर) के समरूप कार्य का नहीं होने के कारण बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। नीति निर्धारण समिति द्वारा लिये गये निर्णयानुसार विशिष्ट कार्य संपादन को नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य नहीं माना जा सकता। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनीवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की संख्ती से पालना के निर्देश किया है जिसका संबंध समान कार्य से है। डी.बी. याचिका संख्या 26/2023 सुखाराम बनाम सरकार व अन्य को समान कार्य का अनुभव नहीं होने के कारण खारिज कर दिया है। फलस्वरूप अनुभव आधारित बोनस अंकों के अभाव में कट ऑफ से कम अंक रहने के कारण चयन से वंचित रही हैं।
11	SARITA KUMARI	NO158104	1/1/1987	OBC-NCL/ --	MAMCHAND	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय के पत्रांक 235 दिनांक 7.2.2025 द्वारा अभ्यर्थी हेतु जारी एक अनुभव प्रमाण पत्र क्रमांक 309 दिनांक 24.5.2023 को सत्यापन नहीं किया गया है। जिसके फलस्वरूप अभ्यर्थी को अनुभव आधारित केवल 15 बोनस अंकों का लाभ देय है। अतः 15 प्रतिशत बोनस अंकों के साथ प्राप्त कुल प्राप्तांक 61.958 प्रतिशत बनते हैं जो उनके जातिवर्ग के कट ऑफ से कम होने के कारण चयन से वंचित रही हैं।
12	JITENDRA KUMAR YADAV	NO196159	4/6/1994	OBC-NCL/ --	RAMSHRAN YADAV	अभ्यर्थी के अनुभव प्रमाण पत्र के पुनर्सत्यापन के अनुसार कुल अनुभव अवधि में 522 दिवस अवैतनिक अवकाश होने के कारण 490 दिवस अनुभव अवधि जिसमें कोविड अवधि सम्मिलित है, के आधार पर केवल 15 बोनस अंक ही देय हैं। फलस्वरूप अनुभव आधारित 15 प्रतिशत बोनस अंकों के साथ प्राप्त कुल प्राप्तांक 61.418 प्रतिशत बनते हैं जो उनके जातिवर्ग के कट ऑफ से कम होने के कारण चयन से वंचित रहे हैं।
13	HEMANT KUMAR JOSHI	NO182094	7/25/1988	OBC-NCL/ --	BABU LAL	अभ्यर्थी को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर द्वारा दिनांक 14.09.2013 से 30.10.2016 तक कुल 03 वर्ष 01 माह 17 दिवस का अनुभव जारी किया गया था एवं भुगतान दर के अनुसार कार्यदिवसों की संख्या

State Institute of Health & Family Welfare

Jhalana Institutional Area, Near Doordarshan Kendra, Jaipur-302004

						878 अंकित की गई है। इस प्रकार अभ्यर्थी के 878 दिवस ही सत्यापित हुये हैं जिसके आधार पर अभ्यर्थी को 20 बोनस अंकों का ही लाभ देय है। फलस्वरूप अनुभव आधारित 20 प्रतिशत बोनस अंकों के आधार पर प्राप्तांक 66.410 प्रतिशत बनते हैं जो उनके जातिवर्ग के कट ऑफ से कम होने के कारण चयन से वंचित रहे हैं।
14	KAMAL SINGH	NO160424	7/3/1995	OBC-NCL/ --	KARTAR SINGH	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर द्वारा अभ्यर्थी के अनुभव का पुनर्सत्यापन कर 1055 दिवस ही अनुभव अवधि सत्यापित की गई है। अतः अभ्यर्थी को मात्र 20 प्रतिशत बोनस अंक ही देय हैं। फलस्वरूप अनुभव आधारित 20 प्रतिशत बोनस अंकों के आधार पर प्राप्तांक 66.196 प्रतिशत बनते हैं जो उनके जातिवर्ग के कट ऑफ से कम होने के कारण चयन से वंचित रहे हैं।
15	MAHESH YADAV	NO189729	7/8/1993	OBC-NCL/ --	NANDA RAM YADAV	अभ्यर्थी के अनुभव प्रमाण पत्र के पुनर्सत्यापन में 959 दिवस का अनुभव सत्यापित होने के आधार पर मात्र 20 प्रतिशत बोनस अंक ही देय हैं। फलस्वरूप अनुभव आधारित 20 प्रतिशत बोनस अंकों के आधार पर कुल प्राप्तांक 65.945 प्रतिशत बनते हैं जो उनके जातिवर्ग के कट ऑफ से कम होने के कारण चयन से वंचित रहे हैं।
16	SURESH DOGIWAL	NO160620	12/3/1991	OBC-NCL/ --	HARI RAM DOGIWAL	अभ्यर्थी के अनुभव प्रमाण पत्र के पुनर्सत्यापन में अनुभव अवधि 1072 दिवस ही सत्यापित होने के आधार पर 20 बोनस अंक ही देय हैं। फलस्वरूप अनुभव आधारित 20 प्रतिशत बोनस अंकों के आधार पर कुल प्राप्तांक 65.935 प्रतिशत बनते हैं जो उनके जातिवर्ग के कट ऑफ से कम होने के कारण चयन से वंचित रहे हैं।
17	PANKAJ KUMAR SAINI	NO156914	9/4/1992	OBC-NCL/ --	CHHITAR MAL SAINI	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय के पत्रांक 230, 231 दिनांक 7.2.2025 द्वारा अभ्यर्थी हेतु जारी अनुभव प्रमाण पत्र क्रमांक 143 एवं 144 दिनांक 19.5.2023 को सत्यापन नहीं किया गया है। जिसके फलस्वरूप अभ्यर्थी को अनुभव आधारित शून्य बोनस अंकों का लाभ देय है। अतः शून्य बोनस अंकों के साथ प्राप्त कुल प्राप्तांक 45.902 प्रतिशत बनते हैं जो उनके जातिवर्ग के कट ऑफ से कम होने के कारण चयन से वंचित रहे हैं।

State Institute of Health & Family Welfare

Jhalana Institutional Area, Near Doordarshan Kendra, Jaipur-302004

18	KANHAIYA LAL SAINI	NO192397	7/2/1991	OBC- NCL/ --	PRAHLAD SAINI	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम के पत्र क्रमांक 1631 दिनांक 27.11.2024 के द्वारा 416 दिवस का अनुभव अवधि को शून्य करने की अभिशंषा की है। शेष 976 दिवस के सत्यापन के आधार पर मात्र 20 बोनस अंक ही देय हैं। फलस्वरूप अनुभव आधारित 20 प्रतिशत बोनस अंकों के साथ प्राप्त कुल प्राप्तांक 65.669 प्रतिशत बनते हैं जो उनके जातिवर्ग के कट ऑफ से कम होने के कारण चयन से वंचित रहे हैं।
19	DHARMANDRA KUMAR SHARMA	NO129347	6/16/1992	EWS/	PURUSHOT TAM SHARMA	अभ्यर्थी को मार्बल एसोसिएशन किशनगढ़ द्वारा भुगतान किया गया है। राज्य सरकार से किसी प्रकार का भुगतान नहीं होने के कारण अभ्यर्थी को राज्य सरकार के अधीन कार्यरत नहीं माना जा सकता है। राज्य सरकार केवल स्वयं के अधीन निर्धारित कार्यक्रमों में कार्यरत संविदा कार्मिकों को ही बोनस अंकों का लाभ देने का विचार रखती है। वस्तुतः बोनस एक लाभ है अधिकार नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात को स्वीकार किया है कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नीति को उसके अनुसार ही चलना चाहिये। निजी संस्थान के अधीन कार्यरत कार्मिकों को नियमानुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। राज्य सरकार के पत्रांक प.5/81/चि.स्वा. -3/2002 दिनांक 26.12.2002 के अनुसार प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, किशनगढ़ में नर्सिंग उपलब्ध कराने बाबत किशनगढ़ मार्बल एसोसिएशन के प्रस्ताव को संशर्त स्वीकृति प्रदान की गई थी जिसके अनुसार किशनगढ़ मार्बल एसोसिएशन द्वारा की जाने वाली नर्सों का चयन व उनकी नियुक्तिया तथा वेतन आदि मार्बल एसोसिएशन द्वारा ही देय होंगे और ये नर्स राज्य सरकार के कर्मचारी नहीं होंगे और ना ही उन्हें राज्य सरकार से किसी प्रकार का लाभ प्राप्त करने का हक होगा। अतः निजी संस्थान के अधीन कार्यरत होने के कारण अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। फलस्वरूप अनुभव आधारित बोनस अंकों के अभाव में कट ऑफ से कम अंक रहने के कारण चयन से वंचित रहे हैं।
20	DURGA SHANKAR PARIHAR	NO194980	12/20/1986	OBC- NCL/ --	TAJA RAM PARIHAR	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर ने अपने पत्रांक 4644 दिनांक 29.05.2025 के द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र क्रमांक 2016 दिनांक 2.

State Institute of Health & Family Welfare

Jhalana Institutional Area, Near Doordarshan Kendra, Jaipur-302004

						6.2023 को निरस्त कर दिया है। फलस्वरूप अनुभव आधारित बोनस अंकों के अभाव में कुल प्राप्तांक 45.545 प्रतिशत बनते हैं जो उनके जातिवर्ग के कट ऑफ से कम होने के कारण चयन से वंचित रहे हैं।
21	MEERA DEVI	NO179527	5/5/1993	MBC-NCL/	PYAR SINGH	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर ने अपने पत्रांक 4548 दिनांक 11.10.2023 द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र क्रमांक 16 दिनांक 3.6.2023 को निरस्त किया जा चुका है। फलस्वरूप अनुभव आधारित बोनस अंकों के अभाव में कुल प्राप्तांक 45.473 प्रतिशत बनते हैं जो उनके जातिवर्ग के कट ऑफ से कम होने के कारण चयन से वंचित रही हैं।
22	VEDPRAKASH	NO163227	6/15/1989	OBC-NCL/ --	DINESH CHAND	अभ्यर्थी का मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय द्वारा जारी 324 दिवस का अनुभव निर्धारित प्रारूप में नहीं है। निर्धारित प्रारूप में अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने संबंधी प्रकरणों यथा डीबी याचिका सं. 351/2020 संतोष चौधरी बनाम सरकार एवं 1660/2018 कविता पंवार बनाम सरकार को खारिज किया जा चुका है। शेष अनुभव अवधि के सत्यापन के आधार पर 20 बोनस अंक दिये गये हैं। फलस्वरूप अनुभव आधारित 20 बोनस अंकों के साथ कुल प्राप्तांक 64.633 प्रतिशत बनते हैं जो उनके जातिवर्ग के कट ऑफ से कम होने के कारण चयन से वंचित रहे हैं।
23	RAGHU SHARMA	NO184790	6/26/1989	EWS/	KAMAL KANT SHARMA	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ दिनांक 1.4.2015 से दिनांक 31.8.2018 तक का अनुभव का लाभ चाहा है जबकि राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर से प्राप्त सूचना अनुसार अभ्यर्थी का पंजीयन दिनांक 7.5.2018 को हुआ है। नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार पंजीयन से पूर्व की अवधि के अनुभव का बोनस अंकों का लाभ नहीं दिया जा सकता। अतः इस प्रकार अभ्यर्थी का अनुभव मात्र 572 दिवस सत्यापित होने से केवल 10 प्रतिशत बोनस अंकों लाभ ही देय है। जिसके फलस्वरूप अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 54.463 प्रतिशत बनते हैं जो उनके जातिवर्ग के कट ऑफ से कम होने के कारण चयन से वंचित रहे हैं।
24	VINOD SWAMI	NO119480	7/25/1994	OBC-NCL/ --	RAMNIWAS SWAMI	बीडीएम चिकित्सालय कोटपूतली के पत्र दिनांक 15.7.2024 के अनुसार ट्रौमा सेन्टर के संचालन हेतु राज्य सरकार एवं निम्स यूनिवर्सिटी के मध्य एमओयू हुआ था। निम्स यूनिवर्सिटी द्वारा

State Institute of Health & Family Welfare

Jhalana Institutional Area, Near Doordarshan Kendra, Jaipur-302004

						ट्रोमा सेन्टर पर अपने स्तर से चयन कर नर्सिंग स्टाफ लगाया गया था एवं कार्मिक को पारिश्रमिक भुगतान भी निम्स द्वारा किया गया है। राज्य सरकार से किसी प्रकार का भुगतान नहीं होने के कारण अभ्यर्थी को राज्य सरकार के अधीन कार्यरत संविदा कार्मिक नहीं माना जा सकता है। राज्य सरकार केवल स्वयं के अधीन निर्धारित कार्यक्रमों में कार्यरत संविदा कार्मिकों को ही बोनस अंकों का लाभ देने का विचार रखती है। वस्तुतः बोनस एक लाभ है अधिकार नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात को स्वीकार किया है कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नीति को उसके अनुसार ही चलना चाहिये। वस्तुतः निम्स यूनिवर्सिटी द्वारा स्वयं के चेरिटेबल कार्य हेतु अभ्यर्थी को नियुक्त किया है जिसमें अभ्यर्थी द्वारा यूनिवर्सिटी के अधीन कार्य सम्पादन किया है। निजी संस्थान के अधीन कार्यरत कार्मिकों को नियमानुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। फलस्वरूप निजी संस्थान के अधीन कार्यरत होने के कारण अनुभव आधारित बोनस अंकों के अभाव में कट ऑफ से कम अंक रहने के कारण चयन से वंचित रहे हैं।
25	RAVI SHANKER SHARMA	NO129098	10/5/1989	EWS/	BHAGWAN SAHAY SHARMA	अभ्यर्थी उपकेन्द्र पर महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद पर कार्यरत है जिसका अनुभव विज्ञापित पद (नर्सिंग ऑफिसर) के समान नहीं होने के कारण बोनस अंक देय नहीं है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनीवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश किया है जिसका संबंध समान कार्य से है। डी.बी. याचिका संख्या 26/2023 सुखाराम बनाम सरकार व अन्य को समान कार्य का अनुभव नहीं होने के कारण खारिज कर दिया है। फलस्वरूप अनुभव आधारित बोनस अंकों के अभाव में कट ऑफ से कम अंक रहने के कारण चयन से वंचित रहे हैं।
26	Himmat Teli	NO149397	2/1/1988	OBC-NCL/ --	Veni ram	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ संलग्न अनुभव प्रमाण पत्रों को पुनर्सत्यापन के आधार पर 1087 दिवस अनुभव अवधि होना पाया गया है जिसके आधार पर अभ्यर्थी को 20 बोनस अंक देय है। फलस्वरूप 20 प्रतिशत बोनस अंकों के साथ अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 64.181 प्रतिशत बनते हैं जो उनके जातिवर्ग के

State Institute of Health & Family Welfare

Jhalana Institutional Area, Near Doordarshan Kendra, Jaipur-302004

						कट ऑफ से कम होने के कारण चयन से वंचित रहे हैं।
27	VIVEK KUMAR SAINI	NO173105	6/6/1987	OBC-NCL/ --	RAM GOPAL SAINI	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय के पत्रांक 232, 233 दिनांक 7.2.2025 द्वारा अभ्यर्थी हेतु जारी अनुभव प्रमाण पत्र क्रमांक 818 दिनांक 30.5.2023 एवं क्रमांक 1357 दिनांक 2.6.2023 को सत्यापन नहीं किया गया है। जिसके फलस्वरूप अभ्यर्थी को अनुभव आधारित शून्य बोनस अंक ही देय हैं। अतः शून्यबोनस अंकों के साथ कुल प्राप्तांक 44.106 प्रतिशत बनते हैं जो उनके जातिवर्ग के कट ऑफ से कम होने के कारण चयन से वंचित रहे हैं।
28	JITENDRA KUMAR GAUD	NO159126	9/2/1987	EWS/	BHARAT LAL SHARMA	अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्रों के आधार पर अभ्यर्थी दिनांक 10.10.11 से 3.9.16 तक हैलथ एडवाइजरी ऑफिसर पद पर कार्यरत है जिसका अनुभव विज्ञापित पद (नर्सिंग ऑफिसर) के समान नहीं होने के कारण बोनस अंक देय नहीं है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनीवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश किया है जिसका संबंध समान कार्य से है। डी.बी. याचिका संख्या 26/2023 सुखाराम बनाम सरकार व अन्य को समान कार्य का अनुभव नहीं होने के कारण खारिज कर दिया है। अभ्यर्थी को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर द्वारा जारी सीएचए पद के एक अन्य अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर 15 बोनस अंकों का लाभ ही देय है। फलस्वरूप अनुभव आधारित 15 प्रतिशत बोनस अंकों के साथ कुल प्राप्तांक 59.093 प्रतिशत बनते हैं जो उनके जातिवर्ग के कट ऑफ से कम होने के कारण चयन से वंचित रहे हैं।
29	VINAY SHARMA	NO195492	7/1/1986	EWS/	BHAWANE E SHANKAR SHARMA	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ संलग्न अनुभव प्रमाण पत्रों के पुनर्सत्यापन के आधार पर 1077 दिवस का ही भुगतान हुआ है। जिसके आधार पर अभ्यर्थी को 20 बोनस अंक देय हैं। फलस्वरूप अनुभव आधारित 20 प्रतिशत बोनस अंकों के साथ कुल प्राप्तांक 63.608 प्रतिशत बनते हैं जो उनके जातिवर्ग के कट ऑफ से कम होने के कारण चयन से वंचित रहे हैं।

State Institute of Health & Family Welfare

Jhalana Institutional Area, Near Doordarshan Kendra, Jaipur-302004

30	PAWAN KUMAR BHADUKA	NO147816	12/16/1983	EWS/	BHIMA SHANKER BHADUKA	अभ्यर्थी को मार्बल एसोसिएशन किशनगढ़ द्वारा भुगतान किया गया है। राज्य सरकार से किसी प्रकार का भुगतान नहीं होने के कारण अभ्यर्थी को राज्य सरकार के अधीन कार्यरत नहीं माना जा सकता है। राज्य सरकार केवल निर्धारित कार्यक्रमों एवं स्वयं के चिकित्सा संस्थानों में कार्यरत संविदा कार्मिकों को ही बोनस अंकों का लाभ देने का विचार रखती है। वस्तुतः बोनस एक लाभ है अधिकार नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात को स्वीकार किया है कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नीति को उसके अनुसार ही चलना चाहिये। निजी संस्थान के अधीन कार्यरत कार्मिकों को नियमानुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। राज्य सरकार के पत्रांक प. 5/81/चि.स्वा.-3/2002 दिनांक 26.12.2002 के अनुसार प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, किशनगढ़ में नर्सिंग उपलब्ध कराने बाबत किशनगढ़ मार्बल एसोसिएशन के प्रस्ताव को सशर्त स्वीकृति प्रदान की गई थी जिसके अनुसार किशनगढ़ मार्बल एसोसिएशन द्वारा की जाने वाली नर्सों का चयन व उनकी नियुक्तिया तथा वेतन आदि मार्बल एसोसिएशन द्वारा ही देय होंगे और ये नर्स राज्य सरकार के कर्मचारी नहीं होंगे और ना ही उन्हें राज्य सरकार से किसी प्रकार का लाभ प्राप्त करने का हक होगा। अतः निजी संस्थान के अधीन कार्यरत होने के कारण अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। फलस्वरूप अनुभव आधारित बोनस अंकों के अभाव में कट ऑफ से कम अंक रहने के कारण चयन से वंचित रहे हैं।
31	LAXMI GUJAR	NO102300	11/14/1982	SC/	AMRIT LAL GUJAR	अभ्यर्थिया को जारी अनुभव प्रमाण पत्रों में 444 दिवस की अवधि माननीय न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 15213/2024 में पारित निर्णय दिनांक 5.11.2024 के अनुसार गणना योग्य नहीं है। शेष अनुभव अवधि के आधार पर 15 बोनस देय है। फलस्वरूप अनुभव आधारित 15 प्रतिशत बोनस अंकों के साथ कुल प्राप्तांक 58.297 प्रतिशत बनते हैं जो उनके जातिवर्ग के कट ऑफ से कम होने के कारण चयन से वंचित रही हैं।
32	ARIF MOHAMMAD	NO164503	7/5/1991	OBC- NCL/ --	SHOKAT ALI	अभ्यर्थी दिनांक 1.9.18 से 20.1.20 तक 707 दिवस पीपीपी मोड पर संचालित सीटी स्केन

State Institute of Health & Family Welfare

Jhalana Institutional Area, Near Doordarshan Kendra, Jaipur-302004

						सेन्टर पर कार्यरत है जिसका कार्य विज्ञापित पद (नर्सिंग ऑफिसर) के समान नहीं होने के कारण बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनीवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश किया है जिसका संबंध समान कार्य से है। डी.बी. याचिका संख्या 26/2023 सुखाराम बनाम सरकार व अन्य को समान कार्य का अनुभव नहीं होने के कारण खारिज कर दिया है। शेष अवधि 915 दिवस के 20 बोनस अंक देय है। फलस्वरूप अनुभव आधारित 20 प्रतिशत बोनस अंकों के साथ कुल प्राप्तांक 62.997 प्रतिशत बनते हैं जो उनके जातिवर्ग के कट ऑफ से कम होने के कारण चयन से वंचित रहे हैं।
33	MANISH KUMAR YADAV	NO127301	8/6/1991	OBC-NCL/ --	RAM CHANDRA YADAV	बीडीएम चिकित्सालय कोटपूतली के पत्र दिनांक 15.7.2024 के अनुसार ट्रामा सेन्टर के संचालन हेतु राज्य सरकार एवं निम्स यूनिवर्सिटी के मध्य एमओयू हुआ था। निम्स यूनिवर्सिटी द्वारा ट्रामा सेन्टर पर अपने स्तर से चयन कर नर्सिंग स्टाफ लगाया गया था एवं कार्मिक को पारिश्रमिक भुगतान भी निम्स द्वारा किया गया है। राज्य सरकार से किसी प्रकार का भुगतान नहीं होने के कारण अभ्यर्थी को राज्य सरकार के अधीन कार्यरत संविदा कार्मिक नहीं माना जा सकता है। राज्य सरकार केवल स्वयं के अधीन निर्धारित कार्यक्रमों में कार्यरत संविदा कार्मिकों को ही बोनस अंकों का लाभ देने का विचार रखती है। वस्तुतः बोनस एक लाभ है अधिकार नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात को स्वीकार किया है कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नीति को उसके अनुसार ही चलना चाहिये। वस्तुतः निम्स यूनिवर्सिटी द्वारा स्वयं के चेरिटेबल कार्य हेतु अभ्यर्थी को नियुक्त किया है जिसमें अभ्यर्थी द्वारा यूनिवर्सिटी के अधीन कार्य सम्पादन किया है। निजी संस्थान के अधीन कार्यरत कार्मिकों को नियमानुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। फलस्वरूप निजी संस्थान के अधीन कार्यरत होने के कारण अनुभव आधारित बोनस अंकों के अभाव में कट ऑफ से कम अंक रहने के कारण चयन से वंचित रहे हैं।
34	MANEESH	NO152516	7/21/1984	EWS/	OM	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा ने

State Institute of Health & Family Welfare

Jhalana Institutional Area, Near Doordarshan Kendra, Jaipur-302004

	GALAV				PRAKASH GALAV	क्रमांक 3863 दिनांक 9.5.2025 द्वारा अभ्यर्थी की नियुक्ति अन्य पद पर हो जाने के कारण अनुभव प्रमाण पत्र का सत्यापन नहीं कराया जाकर इसको निरस्त करने की अनुशंसा की है। फलस्वरूप अनुभव आधारित बोनस अंकों के अभाव में कट ऑफ से कम अंक रहने के कारण चयन से वंचित रहे हैं।
35	URMILA KUMARI	NO156472	5/15/1980	OBC- NCL/ --	AMI LAL	अभ्यर्थी को जारी दिनांक 20.6.2017 से 28.2.2019 तक के अनुभव में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय ने पत्र क्रमांक 234 दिनांक 7.2.2025 द्वारा उक्त अनुभव सत्यापन नहीं किया गया है। अतः दिनांक 1.7.2021 से दिनांक 23.11.2022 तक के एक अन्य अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर मात्र 15 प्रतिशत बोनस अंक देय हैं। फलस्वरूप अनुभव आधारित 15 प्रतिशत बोनस अंकों के आधार पर कुल प्राप्तांक 57.205 प्रतिशत बनते हैं जो उनके जातिवर्ग के कट ऑफ से कम होने के कारण चयन से वंचित रहे हैं।
36	SANGEETA DHAKED	NO207957	4/7/1986	OBC- NCL/ --	JHAMMAN SINGH	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर के पत्रांक 2987 दिनांक 9.7.2024 के अनुसार अभ्यर्थी को जारी अनुभव प्रमाण पत्र क्रमांक 22 दिनांक 9.6.2023 को निरस्त किया जा चुका है। फलस्वरूप अनुभव आधारित बोनस अंकों के अभाव में कट ऑफ से कम अंक रहने के कारण चयन से वंचित रही हैं।
37	PRIYA OJHA	NO170601	11/19/1995	EWS/	KAMLESH OJHA	अभ्यर्थी को जारी अनुभव प्रमाण पत्रों में 444 दिवस की अवधि माननीय न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 15213/2024 में पारित निर्णय दिनांक 5.11.2024 के अनुसार गणना योग्य नहीं है। शेष अनुभव कोविड अवधि के बाद का एवं 01 वर्ष से कम होने के कारण बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। फलस्वरूप अनुभव आधारित बोनस अंकों के अभाव में कट ऑफ से कम अंक रहने के कारण चयन से वंचित रही हैं।
38	NARESH KUMAR	NO167100	1/9/1994	SC/	OBA RAM	नीति निर्धारण समिति द्वारा पूर्व में लिये गये निर्णयानुसार राजस्थान नर्सिंग कौंसिल में पंजीयन से पूर्व के अनुभव का बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। अभ्यर्थी का राजस्थान नर्सिंग कौंसिल में पंजीयन दिनांक 25.06.2019 से होने के कारण अनुभव की गणना 25.06.2019 से 30.04.2021 तक 615 दिवस की गई है। इसके अतिरिक्त 61 दिवस की अनुभव अवधि भुगतान बिलो में अभ्यर्थी का नाम नहीं होने के कारण

State Institute of Health & Family Welfare

Jhalana Institutional Area, Near Doordarshan Kendra, Jaipur-302004

						काटी गई है। एक अन्य अनुभव सीएचए पद का 256 दिवस का सत्यापित है। इस प्रकार कुल अनुभव अवधि 871 दिवस पर 20 प्रतिशत बोनस अंक देय है। फलस्वरूप अनुभव आधारित 20 प्रतिशत बोनस अंकों के आधार पर कुल प्राप्तांक 60.851 प्रतिशत बनते हैं जो उनके जातिवर्ग के कट ऑफ से कम होने के कारण चयन से वंचित रहे हैं।
39	VISHNU PRASAD JAT	NO160923	1/2/1989	OBC-NCL/ --	BANNA LAL JAT	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय के पत्रांक 330 दिनांक 21.2.2025 द्वारा 270 दिवस का अनुभव दिनांक 1.9.2016 से दिनांक 31.10.2017 को सत्यापन नहीं किया गया है। शेष रही अनुभव अवधि के सत्यापन के आधार पर मात्र 15 प्रतिशत बोनस अंक ही देय है। फलस्वरूप अनुभव आधारित 15 प्रतिशत बोनस अंकों के आधार कुल प्राप्तांक 65.819 प्रतिशत बनते हैं जो उनके जातिवर्ग के कट ऑफ से कम होने के कारण चयन से वंचित रहे हैं।
40	LAXMAN KANWAR	NO217846	5/4/1990	EWS/	DEVI SINGH	अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्रों के आधार पर अभ्यर्थी को सीएचए पद के अनुभव के 15 प्रतिशत बोनस अंक देय हैं। अभ्यर्थी का एक दूसरा अनुभव पीपीपी मोड पर उपकेन्द्र रायथल पर कार्य करने का है जहाँ नर्सिंग ऑफिसर का पद स्वीकृत नहीं होने के कारण सम्पादित पद का कार्य नर्सिंग ऑफिसर के समान नहीं हो सकता है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनीवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश किया है जिसका संबंध समान कार्य से है। डी.बी. याचिका संख्या 26/2023 सुखाराम बनाम सरकार व अन्य को समान कार्य का अनुभव नहीं होने के कारण खारिज कर दिया है। अतः इस अनुभव प्रमाण पत्र क्रमांक 3954 दिनांक 20.5.2023 के आधार पर बोनस अंक देय नहीं है। फलस्वरूप अनुभव आधारित 15 प्रतिशत बोनस अंकों के आधार कुल प्राप्तांक 55.742 प्रतिशत बनते हैं जो उनके जातिवर्ग के कट ऑफ से कम होने के कारण चयन से वंचित रहे हैं।
41	OMPRAKASH GARER	NO167044	1/2/1987	OBC-NCL/ --	RAMESH CHANDRA GARER	अभ्यर्थी को एनजीओ कैनकिड्स किडस्कैन फाउन्डेशन में कार्य करने का अनुभव प्राप्त है। एनजीओ कैनकिड्स किडस्कैन फाउन्डेशन एवं

State Institute of Health & Family Welfare

Jhalana Institutional Area, Near Doordarshan Kendra, Jaipur-302004

						सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर के मध्य हुये एमओयू के अनुसार संविदा पर कार्यरत कार्मिकों को भुगतान संबंधित एनजीओ द्वारा किया जायेगा राज्य सरकार की ओर से किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया जायेगा। इस प्रकार अभ्यर्थी का अनुभव अन्य संस्थान का होने के कारण जिसका कि भुगतान भी अन्य संस्थान द्वारा ही किया गया है, का प्रमाणिकरण विभाग द्वारा अधिकृत अधिकारियों द्वारा किया जाना संभव नहीं है। अतः प्रमाणिकरण के अभाव में उक्त अनुभव अवधि का बोनस का लाभ देय नहीं है। अभ्यर्थी को राज्य सरकार द्वारा भुगतान नहीं किया गया है। अतः बोनस अंक देय नहीं है। वस्तुतः एन.जी.ओ. द्वारा स्वयं के चेसिटेबल कार्य हेतु अभ्यर्थी को नियुक्त किया है जिसमें अभ्यर्थी द्वारा एन.जी.ओ. के अधीन कार्य सम्पादन किया है। फलस्वरूप अनुभव आधारित बोनस अंकों के अभाव में कट ऑफ से कम अंक सहने के कारण चयन से वंचित रहे हैं।
42	RAVI KUMAR MEGHWAL	NO103344	2/28/1992	SC/	RAJENDRA PRASAD	अभ्यर्थी को मार्बल एसोसिएशन किशनगढ़ द्वारा भुगतान किया गया है। राज्य सरकार से किसी प्रकार का भुगतान नहीं होने के कारण अभ्यर्थी को राज्य सरकार के अधीन कार्यरत नहीं माना जा सकता है। राज्य सरकार केवल निर्धारित कार्यक्रमों एवं स्वयं के चिकित्सा संस्थानों में कार्यरत संविदा कार्मिकों को ही बोनस अंकों का लाभ देने का विचार रखती है। वस्तुतः बोनस एक लाभ है अधिकार नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात को स्वीकार किया है कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नीति को उसके अनुसार ही चलना चाहिये। निजी संस्थान के अधीन कार्यरत कार्मिकों को नियमानुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। राज्य सरकार के पत्रांक प. 5/81/चि.स्वा.-3/2002 दिनांक 26.12.2002 के अनुसार प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, किशनगढ़ में नर्सिंग उपलब्ध कराने बाबत किशनगढ़ मार्बल एसोसिएशन के प्रस्ताव को सशर्त स्वीकृति प्रदान की गई थी जिसके अनुसार किशनगढ़ मार्बल एसोसिएशन द्वारा की जाने वाली नर्सों का चयन व उनकी नियुक्तिया तथा वेतन आदि मार्बल एसोसिएशन द्वारा ही देय होंगे और ये नर्स राज्य सरकार के

State Institute of Health & Family Welfare

Jhalana Institutional Area, Near Doordarshan Kendra, Jaipur-302004

						कर्मचारी नहीं होंगे और ना ही उन्हें राज्य सरकार से किसी प्रकार का लाभ प्राप्त करने का हक होगा। अतः निजी संस्थान के अधीन कार्यरत होने के कारण अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। फलस्वरूप अनुभव आधारित बोनस अंकों के अभाव में कट ऑफ से कम अंक रहने के कारण चयन से वंचित रहे हैं।
43	VEENA PAREEK	NO172901	6/23/1998	EWS/	OM PRAKASH PAREEK	अभ्यर्थी को जारी अनुभव प्रमाण प्रमाणपत्र के पुनर्सत्यापन के आधार पर इनकी अनुभव अवधि 203 दिवस दिनांक 14.10.2022 से 04.05.2023 तक है। नियमानुसार एक वर्ष (365) की सेवा पूर्ण करने पर ही न्यूनतम बोनस अंकों का लाभ देय है। जो एक वर्ष से कम होने के कारण बोनस अंक देय नहीं है। फलस्वरूप अनुभव आधारित बोनस अंकों के अभाव में कट ऑफ से कम अंक रहने के कारण चयन से वंचित रही हैं।
44	NARENDRA KUMAR MALAV	NO195394	4/4/1985	OBC- NCL/ --	CHHITAR LAL MALAV	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्रों एवं अनुभव पुनर्सत्यापन के आधार पर प्रमाणित अभ्यर्थी को दिनांक 25.6.2014 से 10.9.2018 तक 1679 दिवस अवधि का अनुभव थर्मल पावर प्रोजेक्ट छबड़ा का है जिसका एमओयू राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा किया गया है जिसका भुगतान भी अन्य संस्थान द्वारा ही किया गया है। राज्य सरकार केवल स्वयं के अधीन निर्धारित कार्यक्रमों एवं चिकित्सा विभाग के चिकित्सा संस्थानों में कार्यरत संविदा कार्मिकों को ही बोनस अंकों का लाभ देने का विचार रखती है। थर्मल पावर प्रोजेक्ट छबड़ा नियम 19 में विनिर्दिष्ट कार्यक्रमों में नहीं है न ही यह विज्ञप्ति की शर्तानुसार चिकित्सा विभाग के अधीन चिकित्सा संस्थान है। अतः भुगतान का प्रमाणिकरण अनुभव जारीकर्ता अधिकृत अधिकारी के माध्यम से कराया जाना संभव नहीं है। प्रमाणिकरण के अभाव में उक्त अनुभव अवधि का बोनस का लाभ देय नहीं होने के फलस्वरूप कट ऑफ से कम अंक रहने के कारण चयन से वंचित रहे हैं।
45	NIRBHAY SHEKHAWAT	NO168847	1/4/1989	SC/	KISHOR SHEKHAWAT	अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाणपत्रों के आधार पर इनके सीएचए पद के अनुभव के 282 दिवस सत्यापन के आधार पर 15 प्रतिशत बोनस अंक देय है। दिनांक 13.10.2018 से 31.

State Institute of Health & Family Welfare

Jhalana Institutional Area, Near Doordarshan Kendra, Jaipur-302004

						01.2021 725 दिवस तक का अनुभव एएनएम के कार्य का है जो विज्ञापित पद (नर्सिंग ऑफिसर) के समरूप नहीं होने के कारण बोनस अंको का लाभ देय नहीं है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनीवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश किया है जिसका संबंध समान कार्य से है। डी.बी. याचिका संख्या 26/2023 सुखाराम बनाम सरकार व अन्य को समान कार्य का अनुभव नहीं होने के कारण खारिज कर दिया है। अतः 15 प्रतिशत बोनस अंकों के साथ कुल प्राप्तांक 54.168 प्रतिशत बनते हैं जो उनके जातिवर्ग के कट ऑफ से कम होने के कारण चयन से वंचित रहे हैं।
46	SWATI MISHRA	NO150567	3/27/1990	EWS/	ASHOK KUMAR SHARMA	अभ्यर्थी को एनजीओ कैनकिड्स किस्कैन फाउन्डेशन में कार्य करने का अनुभव प्राप्त है। एनजीओ कैनकिड्स किस्कैन फाउन्डेशन एवं सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर के मध्य हुये एमओयू के अनुसार संविदा पर कार्यरत कार्मिकों को भुगतान संबंधित एनजीओ द्वारा किया जायेगा राज्य सरकार की ओर से किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया जायेगा। इस प्रकार अभ्यर्थी का अनुभव अन्य संस्थान का होने के कारण जिसका कि भुगतान भी अन्य संस्थान द्वारा ही किया गया है, का प्रमाणिकरण विभाग द्वारा अधिकृत अधिकारियों द्वारा किया जाना संभव नहीं है। अतः प्रमाणिकरण के अभाव में उक्त अनुभव अवधि का बोनस का लाभ देय नहीं है। अभ्यर्थी को राज्य सरकार द्वारा भुगतान नहीं किया गया है। वस्तुतः एन. जी.ओ. द्वारा स्वयं के चेरिटेबल कार्य हेतु अभ्यर्थी को नियुक्त किया है जिसमें अभ्यर्थी द्वारा एन.जी.ओ. के अधीन कार्य सम्पादन किया है। अतः बोनस अंक देय नहीं है। फलस्वरूप अनुभव आधारित बोनस अंकों के अभाव में कट ऑफ से कम अंक रहने के कारण चयन से वंचित रही हैं।
47	BRIJRAJ MEENA	NO167287	6/19/1993	ST/	RAM BILASH	अभ्यर्थी द्वारा सेम्पल कलैक्शन का कार्य किया गया है जो कि विज्ञापित पद (नर्सिंग ऑफिसर) के कार्य के समरूप नहीं होने के कारण नियमानुसार बोनस अंको का लाभ देय नहीं है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनीवाल बनाम राज्य सरकार में पारित

State Institute of Health & Family Welfare

Jhalana Institutional Area, Near Doordarshan Kendra, Jaipur-302004

						निर्णय में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19, जिसका संबंध समान कार्य के अनुभव से है, की सख्ती से पालना के निर्देश दिये हैं। फलस्वरूप अनुभव आधारित बोनस अंकों के अभाव में कट ऑफ से कम अंक रहने के कारण चयन से वंचित रहे हैं।
48	SANGEETA	NO109131	7/6/1998	OBC- NCL/ --	PRAHLAD RAM	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर के पत्रांक 4645 दिनांक 29.05.2025 के द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र क्रमांक 242 दिनांक 10.6.2023 को निरस्त किया गया है। अतः बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। फलस्वरूप अनुभव आधारित बोनस अंकों के अभाव में कट ऑफ से कम अंक रहने के कारण चयन से वंचित रही हैं।
49	AMIT MEENA	NO194199	10/10/1994	ST/	RAJARAM MEENA	आर.एन.सी. से प्राप्त सूचना अनुसार अभ्यर्थी का राजस्थान नर्सिंग कौंसिल में पंजीयन 28.10.2020 से होने के कारण 608 दिवस अनुभव अवधि सत्यापन के आधार पर 15 बोनस अंक ही देय है। फलस्वरूप अनुभव आधारित 15 प्रतिशत बोनस अंकों के आधार पर कुल प्राप्तांक 61.856 प्रतिशत बनते हैं जो उनके जातिवर्ग के कट ऑफ से कम होने के कारण चयन से वंचित रहे हैं।
50	SHARVAN KUMAR	NO193242	9/25/1997	MBC- NCL/	MISRA RAM	नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सी.एच.ओ. अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रुपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः अभ्यर्थी को बोनस अंकों का लाभ नहीं दिया गया। फलस्वरूप अनुभव आधारित बोनस अंकों के अभाव में कट ऑफ से कम अंक रहने के कारण चयन से वंचित रहे हैं।
51	SATYA PRAKASH	NO105467	1/12/1995	SC/	BADRI LAL	अभ्यर्थी 1020 दिवस सीटीस्कैन सेंटर पर सर्विस आउटसोर्स के आधार पर कार्यरत है जिसका कार्य विज्ञापित पद (नर्सिंग ऑफिसर) के समान नहीं होने के कारण बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। रिट याचिका संख्या

State Institute of Health & Family Welfare

Jhalana Institutional Area, Near Doordarshan Kendra, Jaipur-302004

						14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनीवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश किया है जिसका संबंध समान कार्य से है। डी.बी. याचिका संख्या 26/2023 सुखाराम बनाम सरकार व अन्य को समान कार्य का अनुभव नहीं होने के कारण खारिज कर दिया है। फलस्वरूप अनुभव आधारित बोनस अंकों के अभाव में कट ऑफ से कम अंक रहने के कारण चयन से वंचित रहे हैं।
52	LAJWANTI JEENGAR	NO163031	7/22/1991	SC/	DWARAKA PRASAD JEENGAR	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन में प्रस्तुत किये गये अनुभव प्रमाण पत्र में अनुभव अवधि 15.02.2021 से 31.03.2022 अंकित होने के आधार पर 15 बोनस अंक दिये गये थे। अनुभव अवधि के पुनर्सत्यापन में अनुभव सीएचए पद का 15.02.2022 से 31.03.2022 तक कोविड अवधि के अतिरिक्त होने एवं 01 वर्ष से कम होने के कारण बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। फलस्वरूप अनुभव आधारित बोनस अंकों के अभाव में कट ऑफ से कम अंक रहने के कारण चयन से वंचित रही हैं।
53	SEEMA SHARMA	NO193149	7/10/1985	EWS/	GANPAT LAL SHARMA	अभ्यर्थी ने 813 दिवस टीकाकरण का कार्य किया है जो कि विज्ञापित पद (नर्सिंग ऑफिसर) के कार्य के समरूप नहीं होने के कारण नियमानुसार बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनीवाल बनाम राज्य सरकार में पारित निर्णय में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19, जिसका संबंध समान कार्य के अनुभव से है, की सख्ती से पालना के निर्देश दिये हैं। शेष 239 दिवस के अन्य कोविड अवधि के अनुभव के आधार पर 15 बोनस अंक देय हैं। फलस्वरूप अनुभव आधारित 15 बोनस अंकों के आधार पर कुल प्राप्तांक 59.647 प्रतिशत बनते हैं जो उनके जातिवर्ग के कट ऑफ से कम होने के कारण चयन से वंचित रहे हैं।
54	ANITA REGAR	NO106062	6/22/1992	SC/	HARI RAM REGAR	अभ्यर्थीया द्वारा अनारक्षित वर्ग से आवेदन किया गया है। अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत किये जाने पर इन्हे अनुसूचित जाति वर्ग में दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किया गया था। अभ्यर्थीया के विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र के अनुसार अभ्यर्थी मध्यप्रदेश की मूल निवासी है एवं जाति प्रमाण पत्र पति के नाम से प्रस्तुत

State Institute of Health & Family Welfare

Jhalana Institutional Area, Near Doordarshan Kendra, Jaipur-302004

						किया गया है। माननीय न्यायालय ने रिट याचिका संख्या 240/2020 उर्मिला बनाम राज्य सरकार में पारित निर्णय में केवल पिता के नाम से राजस्थान राज्य के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रामाणपत्र को ही मूल निवासी होने का आधार माना है। अतः अभ्यर्थिया राजस्थान राज्य की मूल निवासी नहीं होने के कारण जातिगत आरक्षण का लाभ देय नहीं है। फलस्वरूप सामान्य श्रेणी की कटऑफ से कम अंक रहने के कारण चयन से वंचित रही हैं।
55	HEMLATA SHARMA	NO161693	4/4/1994	EWS/	POORAN MAL SHARMA	नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सी.एच.ओ. अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रुपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः अभ्यर्थी को बोनस अंकों का लाभ नहीं दिया गया। फलस्वरूप अनुभव आधारित बोनस अंकों के अभाव में कट ऑफ से कम अंक रहने के कारण चयन से वंचित रही हैं।
56	DEEP CHAND MEENA	NO121354	9/9/1991	ST/	SULTAN SINGH MEENA	बीडीएम चिकित्सालय कोटपूतली के पत्र दिनांक 15.7.2024 के अनुसार ट्रोमा सेन्टर के संचालन हेतु राज्य सरकार एवं निम्स यूनिवर्सिटी के मध्य एमओयू हुआ था। निम्स यूनिवर्सिटी द्वारा ट्रोमा सेन्टर पर अपने स्तर से चयन कर नर्सिंग स्टाफ लगाया गया था एवं कार्मिक को प्रारंभिक भुगतान भी निम्स द्वारा किया गया है। राज्य सरकार से किसी प्रकार का भुगतान नहीं होने के कारण अभ्यर्थी को राज्य सरकार के अधीन कार्यरत संविदा कार्मिक नहीं माना जा सकता है। राज्य सरकार केवल स्वयं के अधीन निर्धारित कार्यक्रमों में कार्यरत संविदा कार्मिकों को ही बोनस अंकों का लाभ देने का विचार रखती हैं। वस्तुतः बोनस एक लाभ है अधिकार नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात को स्वीकार किया है कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नीति को उसके अनुसार ही चलना चाहिये। वस्तुतः निम्स यूनिवर्सिटी

State Institute of Health & Family Welfare

Jhalana Institutional Area, Near Doordarshan Kendra, Jaipur-302004

						द्वारा स्वयं के चेरिटेबल कार्य हेतु अभ्यर्थी को नियुक्त किया है जिसमें अभ्यर्थी द्वारा यूनिवर्सिटी के अधीन कार्य सम्पादन किया है। निजी संस्थान के अधीन कार्यरत कर्मिकों को नियमानुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। फलस्वरूप अनुभव आधारित बोनस अंकों के अभाव में कट ऑफ से कम अंक रहने के कारण चयन से वंचित रहे हैं।
57	BUDDHI PRAKASH MEENA	NO147115	10/3/1994	ST/	SHANWALR AM MEENA	अभ्यर्थी ने बायोकोन फाउण्डेशन के तहत कार्य किया है। बायोकोन फाउण्डेशन एवं विभाग के मध्य हुये एमओयू के अनुसार सविदाकर्मियों को भुगतान बायोकोन फाउण्डेशन द्वारा ही किया जाना था। राज्य सरकार द्वारा कोई भुगतान बायोकोन फाउण्डेशन को नहीं किया गया इस प्रकार भुगतान प्रमाणिकरण के अभाव में बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। वस्तुतः अभ्यर्थी ने बायोकोन फाउण्डेशन के माध्यम से कार्य सम्पादन किया है। बायोकोन फाउण्डेशन द्वारा द्वारा स्वयं के चेरिटेबल कार्य हेतु अभ्यर्थी को नियुक्त किया है जिसमें अभ्यर्थी द्वारा फाउण्डेशन के अधीन कार्य सम्पादन किया है। शेष अनुभव के आधार पर 15 प्रतिशत बोनस अंक देय हैं। फलस्वरूप अनुभव आधारित 15 प्रतिशत बोनस अंकों के आधार पर कुल प्राप्तांक 59.150 प्रतिशत बनते हैं जो उनके जातिवर्ग के कट ऑफ से कम होने के कारण चयन से वंचित रहे हैं।
58	CHANDRIKA KUMARI MEENA	NO196289	7/26/1997	ST/	BANSHI LAL MEENA	एक अन्य आई.डी. NO208349 पर चयन किए जाने के कारण इस आई.डी. को निरस्त किया गया है।
59	REKHA PAREEK	NO201879	7/5/1981	EWS/	MALI RAM PAREEK	पीएमओ जमवारामगढ़ जयपुर के पत्रांक 309 दिनांक 30.05.2025 के द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र क्रमांक 173 दिनांक 16.5.2023 को निरस्त किया गया है। फलस्वरूप अनुभव आधारित बोनस अंकों के अभाव में कट ऑफ से कम अंक रहने के कारण चयन से वंचित रही हैं।
60	SAMPAT KUMARI RAIDAS	NO201318	4/26/1991	SC/	MANNA LAL	एक अन्य आईडी NO168790 पर चयन किये जाने के कारण इस आई डी को निरस्त किया गया है।
61	DEEPAK KUMAR	NO132448	11/22/1994	Gen (UNRESERVED)/	OMPRAKASH	अभ्यर्थी ने दिव्यांगजन श्रेणी में आवेदन किया है। दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु एसएमएस चिकित्सालय, जयपुर में गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट दिनांक 03.12.2025 के अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता स्कोलियोसिस 20

State Institute of Health & Family Welfare

Jhalana Institutional Area, Near Doordarshan Kendra, Jaipur-302004

						प्रतिशत है। अतः अभ्यर्थी को विशेष योग्यजन श्रेणी का लाभ देय नहीं है।
62	SHAHZAD	NO103595	7/4/1991	EWS/	MOHD TASLEEM	अभ्यर्थी ने दिव्यांगजन श्रेणी में आवेदन किया है। दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु एसएमएस चिकित्सालय, जयपुर में गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट दिनांक 03.12.2025 के अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता काइफोस्कोलियोसिस 20 प्रतिशत है। अतः अभ्यर्थी को विशेष योग्यजन श्रेणी का लाभ देय नहीं है।
63	RUKHSANA	NO135492	3/4/1983	OBC- NCL/ --	ABDUL SALIM	अभ्यर्थी ने दिव्यांगजन श्रेणी में आवेदन किया है। दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु एसएमएस चिकित्सालय, जयपुर में गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट दिनांक 03.12.2025 के अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता स्कोलियोसिस 29 प्रतिशत है। अतः अभ्यर्थी को विशेष योग्यजन श्रेणी का लाभ देय नहीं है।
64	GOPESHWAR SHARMA	NO150471	9/1/1978	Gen (UNRESE RVED)/	RAM DAYAL SHARMA	अभ्यर्थी ने दिव्यांगजन श्रेणी में आवेदन किया है। दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु एसएमएस चिकित्सालय, जयपुर में गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट दिनांक 09.04.2025 के अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता विजुअल डिसेबिलिटी 30 प्रतिशत है। अतः अभ्यर्थी को विशेष योग्यजन श्रेणी का लाभ देय नहीं है।
65	KARUNA SARSWAT	NO182000	11/10/1990	EWS/	MATHURA PRASAD	अभ्यर्थिया राजस्थान राज्य की मूल निवासी नहीं है। अभ्यर्थिया ने मूल निवास प्रमाण पत्र पति के नाम जारी प्रस्तुत किया है। माननीय न्यायालय ने रिट याचिका संख्या 240/2020 उर्मिला बनाम राज्य सरकार में पारित निर्णय में केवल पिता के नाम से जारी मूल निवास प्रमाणपत्र को ही मूल निवासी होने का आधार माना है। अतः अभ्यर्थिया राजस्थान राज्य की मूल निवासी नहीं होने के कारण ईडब्ल्यूएस श्रेणी के आरक्षण का लाभ देय नहीं है। फलस्वरूप समान्य श्रेणी की कटऑफ से कम प्राप्तांक होने के कारण चयन से वंचित रही हैं।
66	BHAVARI DEVI DHABHAI	NO148170	12/12/1977	MBC- NCL/	NATHU LAL DHABHAI	अभ्यर्थिया ने दिनांक 25.3.2013, 18.2.16, 24.8. 2018 एवं 13.3.2019 को जारी अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जो आवेदन की तिथि से तीन वर्ष से अधिक पुराना होने के कारण मान्य नहीं है एवं दिनांक 02.12.2022 का जारी एमबीसी सीएल का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। एक अन्य प्रमाण पत्र दिनांक 18.12. 2024 आवेदन की अन्तिम तिथि के बाद का होने के कारण स्पष्ट है कि अभ्यर्थिया आवेदन

State Institute of Health & Family Welfare

Jhalana Institutional Area, Near Doordarshan Kendra, Jaipur-302004

						के पश्चात् एमबीसी एनसीएल वर्ग में पात्र है किन्तु विज्ञप्ति की शर्तानुसार आवेदन के समय एमबीसी एनसीएल वर्ग में पात्र नहीं थी। फलस्वरूप समान्य श्रेणी की कटऑफ से कम प्राप्तांक होने के कारण चयन से वंचित रही हैं।
67	NEELAM	NO185894	1/23/1995	EWS/	OMPARKAS H	अभ्यर्थिया विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र के अनुसार अभ्यर्थी हरियाणा की मूल निवासी है। अभ्यर्थिया द्वारा मूल निवास एवं जाति प्रमाण पत्र भी पति के नाम से जारी किए गए प्रस्तुत किये हैं। माननीय न्यायालय ने रिट याचिका संख्या 240/2020 उर्मिला बनाम राज्य सरकार में पारित निर्णय में केवल पिता के नाम से राजस्थान राज्य के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाणपत्र को ही मूल निवासी होने का आधार माना है। अभ्यर्थिया द्वारा इस भर्ती हेतु आवेदन भी अनारक्षित वर्ग से किया गया है। अतः ईडब्ल्यूएस श्रेणी के आरक्षण का लाभ देय नहीं है। फलस्वरूप समान्य श्रेणी की कटऑफ से कम प्राप्तांक होने के कारण चयन से वंचित रही हैं।
68	PINKI KUMARI	NO180367	5/10/1991	EWS/	BALBIR SINGH	अभ्यर्थिया विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र के अनुसार अभ्यर्थी हरियाणा की मूल निवासी है। अभ्यर्थिया द्वारा मूल निवास एवं जाति प्रमाण पत्र भी पति के नाम से जारी किए गए प्रस्तुत किये हैं। माननीय न्यायालय ने रिट याचिका संख्या 240/2020 उर्मिला बनाम राज्य सरकार में पारित निर्णय में केवल पिता के नाम से जारी मूल निवास प्रमाणपत्र को ही मूल निवासी होने का आधार माना है। अभ्यर्थिया द्वारा इस भर्ती हेतु आवेदन भी अनारक्षित वर्ग से किया गया है। अतः ईडब्ल्यूएस श्रेणी के आरक्षण का लाभ देय नहीं है। फलस्वरूप समान्य श्रेणी की कटऑफ से कम प्राप्तांक होने के कारण चयन से वंचित रही हैं।
69	VADI HASUMATI BEN	NO144638	6/2/1993	SC/	AKHMA BH AI	अभ्यर्थिया विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र के अनुसार अभ्यर्थी गुजरात राज्य की मूल निवासी है। मूल निवास एवं जाति प्रमाण पत्र भी पति के नाम से जारी किए गए प्रस्तुत किये हैं। माननीय न्यायालय ने रिट याचिका संख्या 240/2020 उर्मिला बनाम राज्य सरकार में पारित निर्णय में केवल पिता के नाम से जारी मूल निवास प्रमाणपत्र को ही मूल निवासी होने का आधार माना है। अतः अनुसूचित जातिवर्ग के आरक्षण का लाभ देय नहीं है। फलस्वरूप समान्य श्रेणी

State Institute of Health & Family Welfare

Jhalana Institutional Area, Near Doordarshan Kendra, Jaipur-302004

						की कटऑफ से कम प्राप्तांक होने के कारण चयन से वंचित रह गई हैं।...
70	BHATERI	NO172293	5/8/1991	EWS/	MUNSHI RAM	अभ्यर्थिया के विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र के अनुसार अभ्यर्थी हरियाणा राज्य की मूल निवासी है। ईडब्लूएस प्रमाण पत्र भी पति के नाम से प्रस्तुत किया गया है। माननीय न्यायालय ने रिट याचिका संख्या 240/2020 उर्मिला बनाम राज्य सरकार में पारित निर्णय में केवल पिता के नाम से राजस्थान राज्य के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाणपत्र को ही मूल निवासी होने का आधार माना है। अतः ईडब्लूएस श्रेणी के आरक्षण का लाभ देय नहीं है। फलस्वरूप समान्य श्रेणी की कटऑफ से कम प्राप्तांक होने के कारण चयन से वंचित रह गई हैं।
71	PRIYANKA	NO159764	2/28/1988	EWS/	BALBIR SINGH	अभ्यर्थिया राजस्थान राज्य की मूल निवासी नहीं है। मूल निवास पति के नाम से जारी किया गया है। अभ्यर्थिया ने शपथ पत्र में स्वयं को जाट जाति का बताया है जो राज्य में ओबीसी वर्ग में आती है। अतः ईडब्लूएस वर्ग का लाभ देय नहीं है। फलस्वरूप समान्य श्रेणी की कटऑफ से कम प्राप्तांक होने के कारण चयन से वंचित रह गई हैं।
72	MANISHA DEVI	NO163614	10/20/1993	EWS/	SADHU RAM	अभ्यर्थिया द्वारा दिनांक 8.5.2025 को उपस्थित होकर पिता के नाम से जारी मूल निवास एवं जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। माननीय न्यायालय ने रिट याचिका संख्या 240/2020 उर्मिला बनाम राज्य सरकार में पारित निर्णय में केवल पिता के नाम से राजस्थान राज्य के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जारी मूल निवास प्रमाणपत्र को ही मूल निवासी होने का आधार माना है। अतः ईडब्लूएस का लाभ देय नहीं है। अतः आरक्षण का लाभ देय नहीं है। फलस्वरूप समान्य श्रेणी की कटऑफ से कम प्राप्तांक होने के कारण चयन से वंचित रह गई हैं।
73	NEETU	NO145662	11/2/1999	SC/	UDAY SINGH	अभ्यर्थिया द्वारा दिनांक 8.5.2025 को उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया जाति प्रमाण पत्र उपखण्ड अधिकारी वर भरतपुर द्वारा जारी किया गया है। जो पिता एवं पति के नाम से जारी है। अतः अनुसूचित जाति का लाभ देय नहीं है। माननीय न्यायालय ने रिट याचिका संख्या 240/2020 उर्मिला बनाम राज्य सरकार में पारित निर्णय में केवल पिता के नाम से

State Institute of Health & Family Welfare

Jhalana Institutional Area, Near Doordarshan Kendra, Jaipur-302004

						राजस्थान राज्य के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जारी मूल निवास प्रमाणपत्र को ही मूल निवासी होने का आधार माना है। फलस्वरूप समान्य श्रेणी की कटऑफ से कम प्राप्तांक होने के कारण चयन से वंचित रहें हैं।
74	KALA KUMARI GAYARI	NO196495	10/13/1991	MBC- NCL/ --	PRABHU LAL GAYARI	अभ्यर्थी ने दिनांक 9.6.2014 एवं 16.7.2018 को जारी अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जो भर्ती वर्ष 2023 में तीन वर्ष से अधिक पुराना है। अतः मान्य नहीं है। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ 30.1.2023 का जारी एम.बी.सी. कीमीलेयर का प्रमाणपत्र संलग्न किया है। एक अन्य प्रमाण पत्र दिनांक 23.12.2024 को जारी है जो आवेदन की अन्तिम तिथि के बाद का होने से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी आवेदन के पश्चात् एमबीसी एनसीएल वर्ग में पात्र है किन्तु विज्ञप्ति की शर्तानुसार आवेदन के समय एमबीसी एनसीएल वर्ग में पात्र नहीं थी। फलस्वरूप समान्य श्रेणी की कटऑफ से कम प्राप्तांक होने के कारण चयन से वंचित रहें हैं।
75	BARIA SHARMISHTHA BEN	NO137999	6/2/1985	ST/	MANGAL BHAI	अभ्यर्थी द्वारा विशेष मूल निवास एवं जाति प्रमाण पत्र पिता के नाम से राजस्थान राज्य का प्रस्तुत नहीं किया गया है। अपितु गुजरात राज्य से जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। अतः अनुसूचित जनजाति का लाभ देय नहीं है। फलस्वरूप समान्य श्रेणी की कटऑफ से कम प्राप्तांक होने के कारण चयन से वंचित रहें हैं।
76	MUKESH KUMARI	NO207719	2/7/1986	EWS/	BHOOP SINGH	विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र एवं ईडब्लूएस प्रमाण पत्र के अनुसार अभ्यर्थी हरियाणा राज्य की निवासी है। अभ्यर्थी ने मूल निवास प्रमाण पत्र भी पति के नाम से प्रस्तुत किया है। माननीय न्यायालय ने रिट याचिका संख्या 240/2020 उर्मिला बनाम राज्य सरकार में पारित निर्णय में केवल पिता के नाम से राजस्थान राज्य के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाणपत्र को ही मूल निवासी होने का आधार माना है। अतः ईडब्लूएस श्रेणी का लाभ देय नहीं है। फलस्वरूप समान्य श्रेणी की कटऑफ से कम प्राप्तांक होने के कारण चयन से वंचित रहें हैं।
77	ARIF KHAN	NO141700	1/1/1991	OBC- NCL/ --	BABU KHAN	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्रों एवं अनुभव पुनर्सत्यापन के आधार पर प्रमाणित अनुभव अनुसार कार्मिक द्वारा सैटलाईट चिकित्सालय अजमेर में एसकेग

State Institute of Health & Family Welfare

Jhalana Institutional Area, Near Doordarshan Kendra, Jaipur-302004

						संजीवनी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निजी जनसहभागिता से संचालित डायलिसिस यूनिट में कार्य किया है। डायलिसिस यूनिट में मरीज केवल एक विशिष्ट तकनीकी कार्य के संपादन हेतु भर्ती होता है। अतः डायलिसिस यूनिट में डायलिसिस संबंधी कार्य का संपादन विज्ञापित पद (नर्सिंग ऑफिसर) के समरूप कार्य का नहीं होने के कारण बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। नीति निर्धारण समिति द्वारा लिये गये निर्णयानुसार विशिष्ट कार्य संपादन को नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य नहीं माना जा सकता। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनीवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश किया है जिसका संबंध समान कार्य से है। डी.बी. याचिका संख्या 26/2023 सुखाराम बनाम सरकार व अन्य को समान कार्य का अनुभव नहीं होने के कारण खारिज कर दिया है। अभ्यर्थी का एक अन्य अनुभव कोरोना अवधि में 9 माह 23 दिवस (297 दिवस) कार्य करने का है जिसे अनुभव प्रमाणपत्र के पुनर्सत्यापन के रूप में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया गया है किन्तु अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ ऐसा कोई अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न नहीं किया है। फलस्वरूप कट ऑफ से कम अंक रहने के कारण चयन से वंचित रहे हैं।
78	NAMEETA MAAN	NO173958	6/30/1989	OBC- NCL/ --	KESHU RAM MAAN	अभ्यर्थी ने दिनांक 8.9.2025 को उपस्थित होकर उपखण्ड अधिकारी तारानगर चूरू द्वारा दिनांक 8.7.2021 एवं 24.12.2024 को जारी अन्य पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। जो नॉन क्रीमीलेयर वर्ग का है। किन्तु अभ्यर्थी ने दस्तावेज सत्यापन के समय दिनांक 9.6.2023 को जारी ओबीसी क्रीमीलेयर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। जिससे स्पष्ट है कि अभ्यर्थीया आवेदन के पश्चात् ओबीसी एनसीएल वर्ग में पात्र है किन्तु विज्ञप्ति की शर्तानुसार आवेदन के समय ओबीसी एनसीएल वर्ग में पात्र नहीं थी। अतः ओबीसी नॉन क्रीमीलेयर वर्ग का लाभ देय नहीं है। फलस्वरूप समान्य श्रेणी की कटऑफ से कम प्राप्तांक होने के कारण चयन से वंचित रही हैं।
79	RAVINDRA PAL	NO142021	11/3/1987	OBC-	RAMCHAR	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर

State Institute of Health & Family Welfare

Jhalana Institutional Area, Near Doordarshan Kendra, Jaipur-302004

	SINGH			NCL/ --	AN SINGH	प्रथम ने अपने पत्रांक 2874 दिनांक 11.06.2025 के अनुसार अभ्यर्थी को अनुभव अवधि का कोई भुगतान राज्य सरकार द्वारा नहीं किया गया और ना ही भविष्य में किया जायेगा, की सूचना से अवगत कराया है। अतः भुगतान प्रमाणिकरण के अभाव में अभ्यर्थी को बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। फलस्वरूप अनुभव आधारित बोनस अंकों के अभाव में कट ऑफ से कम अंक रहने के कारण चयन से वंचित रहे हैं।
80	LOVEKUSH MEENA	NO164702	5/15/1993	ST/	DUADYA MEENA	अभ्यर्थी द्वारा नसबन्दी कैम्प में कार्य किया है जिसमें संपादित कार्य नर्सिंग आफिसर के समान नहीं होने के कारण एवं नियमों में उल्लेखित कार्यक्रमों/योजना में कार्य किया हुआ नहीं होने एवं विशिष्ट प्रकार का होने के कारण नियमानुसार व नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनीवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश किया है जिसका संबंध समान कार्य से है। डी.बी. याचिका संख्या 26/2023 सुखाराम बनाम सरकार व अन्य को समान कार्य का अनुभव नहीं होने के कारण खारिज कर दिया है। फलस्वरूप अनुभव आधारित बोनस अंकों के अभाव में कट ऑफ से कम अंक रहने के कारण चयन से वंचित रहे हैं।
81	UDAY SINGH HARSANA	NO184731	7/1/1991	MBC-NCL/	RAMNIVAS HARSANA	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्रों के पुनर्सत्यापन के आधार पर इनकी अनुभव अवधि 1066 दिवस सत्यापित होने के कारण मात्र 20 प्रतिशत बोनस अंकों का लाभ देय है। फलस्वरूप 20 प्रतिशत बोनस अंकों के साथ कुल प्राप्तांक 60.738 प्रतिशत बनते हैं जो उनके जातिवर्ग के कट ऑफ से कम होने के कारण चयन से वंचित रहे हैं।
82	RITURAJ RAO	NO191584	6/28/1996	OBC-NCL/ --	KAILASH CHAND RAO	चित्तौड़गढ़ ने अपने पत्रांक 30021 दिनांक 09.06.2025 के द्वारा अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को पूर्णतः कूटरचित बताते हुये अभ्यर्थी का जारी अनुभव प्रमाण पत्र बीसीएमओ बेंगलूर द्वारा निरस्त किये जाने की सूचना से अवगत कराया है। अतः बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। फलस्वरूप अनुभव आधारित बोनस अंकों के अभाव में कट ऑफ प्रतिशत से कम अंक रहने के कारण चयन से वंचित रहे हैं।

State Institute of Health & Family Welfare

Jhalana Institutional Area, Near Doordarshan Kendra, Jaipur-302004

83	SANJAY KUMAR	NO163425	10/30/1988	SC/	SHANKAR LAL	उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान जयपुर के पत्रांक एफ35(1)चिस्वा./ग्रुप-3/2019 दिनांक 03.10.20219 के द्वारा समस्त खर्चा संस्था/ट्रस्ट के द्वारा वहन किये जाने के संबंध में निर्देश प्रदान किये गये। राज्य सरकार से किसी प्रकार का भुगतान नहीं होने के कारण अभ्यर्थी को राज्य सरकार के अधीन कार्यरत नहीं माना जा सकता है। अतः निजी संस्थान के अधीन कार्यरत होने के कारण अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। फलस्वरूप अनुभव आधारित बोनस अंकों के अभाव में कट ऑफ प्रतिशत से कम अंक रहने के कारण चयन से वंचित रहे हैं।
84	CHANDRIKA GARG	NO160068	4/26/1990	SC/	JAGDISH GARG	उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान जयपुर के पत्रांक एफ35(1)चिस्वा./ग्रुप-3/2019 दिनांक 03.10.20219 के द्वारा समस्त खर्चा संस्था/ट्रस्ट के द्वारा वहन किये जाने के संबंध में निर्देश प्रदान किये गये। राज्य सरकार से किसी प्रकार का भुगतान नहीं होने के कारण अभ्यर्थी को राज्य सरकार के अधीन कार्यरत नहीं माना जा सकता है। अतः निजी संस्थान के अधीन कार्यरत होने के कारण अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। फलस्वरूप अनुभव आधारित बोनस अंकों के अभाव में कट ऑफ प्रतिशत से कम अंक रहने के कारण चयन से वंचित रहे हैं।
85	BHERU LAL	NO160911	1/1/1989	OBC-NCL/ --	KISTUR CHAND	उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान जयपुर के पत्रांक एफ35(1)चिस्वा./ग्रुप-3/2019 दिनांक 03.10.20219 के द्वारा समस्त खर्चा संस्था/ट्रस्ट के द्वारा वहन किये जाने के संबंध में निर्देश प्रदान किये गये। राज्य सरकार से किसी प्रकार का भुगतान नहीं होने के कारण अभ्यर्थी को राज्य सरकार के अधीन कार्यरत नहीं माना जा सकता है। अतः निजी संस्थान के अधीन कार्यरत होने के कारण अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। फलस्वरूप अनुभव आधारित बोनस अंकों के अभाव में कट ऑफ प्रतिशत से कम अंक रहने के कारण चयन से वंचित रहे हैं।
86	RAJESH	NO183023	7/15/1992	OBC-NCL/ --	MAHENDR A SINGH	अभ्यर्थी द्वारा स्वयं का प्रार्थना प्रस्तुत कर आवेदन निरस्त कराये जाने बाबत निवेदन

State Institute of Health & Family Welfare

Jhalana Institutional Area, Near Doordarshan Kendra, Jaipur-302004

						किया है और अनुभव का पुनर्सत्यापन नहीं करवाना चाहा है साथ मु0चि0 एवं स्वा0 अधिकारी, भरतपुर के पत्रांक 1685 दिनांक 7.5. 2025 के द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र निरस्त किये जाने की अनुशंसा की है। अतः बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है।
87	SANJU RANWA	NO135957	6/17/1998	OBC- NCL/ --	DANA RAM	अभ्यर्थी को जारी अनुभव प्रमाणपत्र सत्यापित नहीं होने के कारण अभ्यर्थी को बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। फलस्वरूप अनुभव आधारित बोनस अंकों के अभाव में कट ऑफ प्रतिशत से कम अंक रहने के कारण चयन से वंचित रही हैं।
88	SANDEEP KUMAR	NO157866	10/15/1990	OBC- NCL/ --	RAM KUMAR	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम के पत्र क्रमांक 2869 दिनांक 11.6.2025 के अनुसार अभ्यर्थी को विभाग द्वारा भुगतान नहीं किया गया है और ना ही भविष्य में किया जायेगा। इस प्रकार अनुभव का सत्यापन नहीं होने के कारण बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। फलस्वरूप अनुभव आधारित बोनस अंकों के अभाव में कट ऑफ प्रतिशत से कम अंक रहने के कारण चयन से वंचित रहे हैं।
89	SUNIL KUMAR DAHIA	NO143138	12/6/1993	SC/	MANGERA M DAHIA	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम के प्रमाण पत्र क्रमांक 2872, 2875 दिनांक 11.6.2025 के अनुसार अभ्यर्थी को विभाग द्वारा भुगतान नहीं किया गया है और ना ही इसका भविष्य में भुगतान किया जायेगा। पूर्ण अनुभव अवधि शून्य होने के कारण बोनस अंक देय नहीं है। फलस्वरूप अनुभव आधारित बोनस अंकों के अभाव में कट ऑफ प्रतिशत से कम अंक रहने के कारण चयन से वंचित रहे हैं।
90	NEETU KUMARI	NO141387	5/23/1988	OBC- NCL/ --	RAJESH KUMAR	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम के पत्र क्रमांक 2870, 2871 दिनांक 11.6. 2025 के अनुसार अभ्यर्थी को विभाग द्वारा भुगतान नहीं किया गया है और ना ही भविष्य में किया जायेगा। पूर्ण अनुभव अवधि शून्य होने के कारण बोनस अंक देय नहीं है। फलस्वरूप अनुभव आधारित बोनस अंकों के अभाव में कट ऑफ प्रतिशत से कम अंक रहने के कारण चयन से वंचित रहे हैं।
91	HIMMAT KATARA	NO105860	1/31/1991	ST/	LACHI RAM KATARA	अभ्यर्थी ने दिव्यांगजन श्रेणी में आवेदन किया है। दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु एसएमएस चिकित्सालय, जयपुर में गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट दिनांक 11.06.2025 के अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता एम्पुटेशन 6 प्रतिशत है।

State Institute of Health & Family Welfare

Jhalana Institutional Area, Near Doordarshan Kendra, Jaipur-302004

						अतः अभ्यर्थी को विशेष योग्यजन श्रेणी का लाभ देय नहीं है।
92	RITESH GOCHER	NO100467	MALE	MBC-NCL/	NAND GOPAL GOCHER	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोटा द्वारा अभ्यर्थी को जारी अनुभव प्रमाण पत्र क्रमांक 3411 दिनांक 19.5.2023 के अनुसार अभ्यर्थी को नर्सिंगकर्मियों के सहयोगकर्ता के पद पर लगाया गया था। जिसका कार्य नर्सिंगकर्मियों के समान नहीं होने के कारण बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनीवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश किया है जिसका संबंध समान कार्य से है। डी.बी. याचिका संख्या 26/2023 सुखाराम बनाम सरकार व अन्य को समान कार्य का अनुभव नहीं होने के कारण खारिज कर दिया है। अभ्यर्थी को एक अन्य सीएचए पद के अनुभव के आधार पर 15 बोनस अंक देय है। फलस्वरूप 61.349 प्रतिशत बनते हैं जो उनके जातिवर्ग के कट ऑफ प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से वंचित रहे हैं।
93	SURESH KUMAR YADAV	NO183365	5/18/1988	OBC-NCL/ --	SHRI BHAGWAN SAHAY	अधीक्षक, राजकीय रुकमणी देवी बेनीप्रसाद जयपुरिया चिकित्सालय, जयपुर के पत्रांक 1306 दिनांक 26.06.2025 के द्वारा अवगत कराया गया है कि अभ्यर्थी द्वारा मेडिकल बोर्ड के समक्ष दिव्यांगता परीक्षण हेतु अतिरिक्त अवसर दिए जाने पर भी उपस्थित नहीं हुये हैं, के कारण चयन से वंचित रहे हैं।
94	GUDDU KANWAR	NO116385	1/2/1998	EWS/	PARVAT SINGH	अधीक्षक, कांवटिया चिकित्सालय, जयपुर के पत्रांक 1524 दिनांक 20.03.2025 के द्वारा अवगत कराया गया है कि अभ्यर्थी द्वारा मेडिकल बोर्ड के समक्ष दिव्यांगता परीक्षण हेतु अवसर दिए जाने पर उपस्थित नहीं हुये हैं, के कारण चयन से वंचित रही है।
95	ROSHNI	NO210409	4/30/1991	OBC-NCL/ --	GANGA RAM	अधीक्षक, राजकीय रुकमणी देवी बेनीप्रसाद जयपुरिया चिकित्सालय, जयपुर के पत्रांक 1306 दिनांक 26.06.2025 के द्वारा अवगत कराया गया है कि अभ्यर्थी द्वारा मेडिकल बोर्ड के समक्ष दिव्यांगता परीक्षण हेतु अतिरिक्त अवसर दिए जाने पर भी उपस्थित नहीं हुये हैं, के कारण चयन से वंचित रही है।
96	VANITA KUMARI	NO175782	3/6/1990	SC/	BHAIRA RAM	अधीक्षक, राजकीय रुकमणी देवी बेनीप्रसाद जयपुरिया चिकित्सालय, जयपुर के पत्रांक 1306 दिनांक 26.06.2025 के द्वारा अवगत कराया

State Institute of Health & Family Welfare

Jhalana Institutional Area, Near Doordarshan Kendra, Jaipur-302004

						गया है कि अभ्यर्थी द्वारा मेडिकल बोर्ड के समक्ष दिव्यांगता परीक्षण हेतु अतिरिक्त अवसर दिए जाने पर भी उपस्थित नहीं हुये है, के कारण चयन से वंचित रही है।
97	MANDAS KATARA	NO146785	5/12/1987	ST/	BHAGWATI LAL KATARA	अभ्यर्थी एक अन्य आई डी 147109 पर दिव्यांगता परीक्षण में अपात्र है। अतः इस आई डी पर भर्ती नियम 1965 के नियम 13 के अनुसार चयन निरस्त किया गया है।
98	SHEELA GURJAR	NO180810	2/15/1997	MBC-NCL/	HARISINGH GURJAR	अभ्यर्थी ने दिव्यांगजन श्रेणी में आवेदन किया है। दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु एसएमएस चिकित्सालय, जयपुर में गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट दिनांक 04.07.2025 के अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता काईफोस्कोलिओसिस 05 प्रतिशत है। अतः अभ्यर्थी को विशेष योग्यजन श्रेणी का लाभ देय नहीं है।

AmiW.
निदेशक

राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान,
जयपुर।

क्रमांक:—F-109(7)/SIHFW/MH-Recruit/Nur.off/2023/ 6777-82

दिनांक:—24/7/25

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
5. निजी/रक्षित पत्रावली।

AmiW.
निदेशक

राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान
जयपुर।